न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील :22/2011

अपीलांट

भारतसिंह गोदी पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी उदेशीकुआं तहसील सोजत सिटी, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

दरियावकंवर के कायम मुकाम

1. पारसकंवर पुत्री प्रेमसिंह पत्नी गंगासिंह जाति राजपूत निवासी झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।

रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–28.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 72/2007 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा उदेशीकुआ तहसील सोजत सिटी के खसरा नंबर 116/1, 1, 292, 406, 549/1016, 581, 585, 859, 940, 941, 115, 132, 133, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152 के सबंध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी स्व. श्री प्रेमसिंह पुत्र कानसिंह की खातेदारी आराजी रही, उनके कोई जाईन्दा पुत्र नहीं हुआ था। केवल एकमात्र पुत्री पारसकंवर उत्पन्न हुई थी। वंश परम्परा को कायम रखने के उदेश्य से एवं माफिक हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्व. प्रेमसिंह ने अपीलांट को संवत 2021 मिति शुक्ल दशमी मास अश्विनी ग्राम उदेशी कुंआ में रिश्तेदारो एवं गांववालो के समक्ष स्वेच्छा से अपनी पत्नी की सहमति से अपीलांट को गोद लिया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट के पक्ष में रजिस्र्टड गोदनामा उपपंजीयन अधिकारी सोजत के समक्ष दिनांक 23.06.2005 को निष्पादित करवाया था। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पैतृक संपति होने से अपीलांट स्व. प्रेमसिंह का विधिक वारिसान होने से वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा अपीलांट का कानूनन बनता है। किन्तु प्रेमसिंह की मृत्यु के पश्चात फौतेदगी म्यूटेशन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.11.1995 को रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया। उक्त म्यूटेशन की आड में रेस्पोडेन्ट उक्त वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र गोदनामे के संबध में सिविल न्यायालय में चल रहे प्रकरण का हवाला देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा उदेशीकुआ तहसील सोजत सिटी के खसरा नंबर 116/1, 1, 292, 406, 549/1016, 581, 585, 859, 940, 941, 115, 132, 133, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152 के सबंध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने गोदनामे के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त अब हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या अपीलांट स्व. प्रेमसिंह का गोदीपुत्र है अथवा नहीं ? एव अगर गोदी पुत्र है तो उक्त आराजी में अपीलाण्ट का कितना हक हिस्सा निहित है ? इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किन्तु यदि रेस्पोडेन्टगण राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। किन्तु अधीनस्थ न्याायलय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 72/2007 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2011 अपास्त किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली